एडी(एनएम)/ईएसी/वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स /2324- एनएम

परामर्शिका

भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय संचार ब्यूरो

सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली – 110003

दिनांक : 20.02.2026

विषय: वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन पैकेज के लिए तकनीकी पैनलबद्धता विंडो खोलने के संबंध में।

इस ब्यूरो के दिनांक 12.02.2024 के आरएफपी सं. एडी(एनएम)/ईएसी/वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स/2324-एनएम के अनुसरण में वे एजेंसियां जो इंटरनेट वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन पैकेज और पुश नोटिफिकेशन के लिए विज्ञापन प्रॉपर्टीज़ प्रस्तुत करने वाली एजेंसियों की पैनलबद्धता हेतु एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि नए आवेदन के लिए तकनीकी पैनलबद्धता विंडो अब खुल गई है।

2. जिन वेबसाइटों ने दिनांक 12.02.2024 के पिछले आरएफपी एडी (एनएम)/ईएसी/वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स/2324-एनएम के तहत पहले ही आवेदन कर दिया है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। इन वेबसाइटों को तकनीकी जांच पात्रता के बाद दरें प्रस्तुत की जाएंगी।

3. यह एक तकनीकी पैनलबद्धता है और आवेदकों से वित्तीय बोली (फाइनेंशियल बिड) नहीं मांगी गई हैं। तकनीकी पात्रता के बाद और एल-1 रेट्स स्वीकार होने पर, वेबसाइट्स को केंद्रीय संचार ब्यूरो के साथ पैनलबद्ध किया जाएगा। पैनल की अवधि 31.12.2027 तक है।

4. वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन पैकेज के तहत आवेदन करने के लिए प्रयोक्ता गणना (User count) की पात्रता निम्नवत है:

श्रेणी	प्रति माह औसत यूनिक यूज़र काउंट (जुलाई 2025- दिसंबर 2025)
ए+	20 मिलियन से अधिक
ए	10-20 मिलियन
बी	5-10 मिलियन
सी	0.25-5 मिलियन

5. आरएफपी और डिजिटल विज्ञापन नीति से संबंधित अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित और बाध्यकारी रहेंगी। विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया अनुबंध I में संलग्न आरएफपी देखें। इस आरएफपी के संबंध में बोलियां (बिड्स) भेजने या स्पष्टीकरण मांगने के लिए पता और संपर्क नंबर नीचे दिए गए हैं:

हर्षित नारंग, उप निदेशक, न्यू मीडिया
कमरा -363, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
फ़ोन: 011-24369598 ईमेल: digitalmediacbc@gmail.com

6. तकनीकी बोली (Technical bid) जमा करने की अंतिम तिथि **27.02.2026** है।
यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है।

निदेशक (न्यू मीडिया)
केंद्रीय संचार ब्यूरो

पोन्नियिन सेलवन एम / M. Ponnein Selvan
निदेशक / Director

अनुलग्नक I

पात्रता हेतु मापदंड और निविदा दस्तावेज की नियम एवं शर्तें

नोडल एजेंसी

सीबीसी में पैनलबद्ध इंटरनेट वेबसाइटों के माध्यम से विज्ञापन के लिए केंद्रीय संचार ब्यूरो केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए नोडल एजेंसी होगा।

2. पात्रता हेतु मानदंड

I. वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन कम से कम एक वर्ष पुराना होना चाहिए और कम से कम एक वर्ष के लिए उसी नाम (वेबसाइट पते) पर लगातार चालू रहना चाहिए। यह अवधि उस तिथि से पीछे की ओर गिनी जाएगी जिस तिथि को वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन सीबीसी के साथ पैनलबद्ध होने के लिए आवेदन करता है।

II. वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन के पास प्रति माह (पैनलबद्ध होने के लिए आवेदन करने की तिथि से ठीक पहले के छह महीनों के डाटा के आधार पर) न्यूनतम औसत यूनिक यूज़र्स (भारत के अंदर के) होने चाहिए जैसा कि नीचे दी गई श्रेणी में बताया गया है:

श्रेणी	प्रति माह औसत यूनिक यूज़र काउंट
ए+	20 मिलियन से अधिक
ए	10-20 मिलियन
बी	5-10 मिलियन
सी	0.25-5 मिलियन

III. वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन को पिछले छह महीनों के अपने औसत मासिक यूनिक यूज़र (UU) संख्या की रिपोर्ट देनी होगी, जिसे वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन के ऑडिटर/संस्था के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो। सीबीसी वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन द्वारा प्रस्तुत किए गए UU डाटा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत और विश्वसनीय थर्ड-पार्टी टूल के माध्यम से क्रॉस-चेक करेगा जो भारत में वेबसाइट ट्रैफिक की निगरानी करता है।

IV. आवेदक वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन के A+, A, B और C सभी श्रेणियों के लिए 'इंटरनेट वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन पैकेज' दरों के लिए आवेदन कर सकता है।

V. केंद्रीय संचार ब्यूरो में पैनलबद्ध होने की इच्छुक वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन को अनुलग्नक II में दी गई एल-1 दरों को स्वीकार करना होगा।

VI. केवल वही वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन जो भारत में निगमित कंपनियों के स्वामित्ववाली और संचालित हैं, को पैनलबद्ध करने पर विचार किया जाएगा। तथापि, विदेशी कंपनियों के स्वामित्व वाली

या विदेशी मूल की वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन पात्र हो सकती हैं यदि ऐसी वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन के पास भारत में पंजीकृत और संचालित एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी हो, जो उनके भारतीय विज्ञापन व्यवसाय का ध्यान रखती है। ऐसे मामले में, विदेशी कंपनी की भारतीय शाखा कम से कम एक वर्ष पुरानी होनी चाहिए, जैसा कि ऊपर पैरा 2 (i) में बताया गया है।

VII. पैनलबद्ध होने के लिए केवल गैर-सरकारी वेबसाइटों/मोबाइल एप्लिकेशन को ही बोली में भाग लेना अपेक्षित है। सरकारी/केंद्रीय या राज्य, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वेबसाइटों/मोबाइल एप्लिकेशन को सीधे पैनलबद्ध किया जाएगा, यदि वे अन्य समान श्रेणी की निजी वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन को दी गई एल 1 रेट मैट्रिक्स को स्वीकार करते हैं, बशर्ते यूनिक यूज़र्स की संख्या उस श्रेणी के मानदंडों के अनुसार हो।

VIII. एक कंपनी/समूह से संबंधित अलग-अलग वेबसाइटों/मोबाइल एप्लिकेशन को पैनलबद्ध किया जा सकता है, बशर्ते वे अलग-अलग/व्यक्तिगत रूप से UU काउंट के मानदंडों को पूरा करते हों। दूसरे शब्दों में, एक समूह/कंपनी की अलग-अलग वेबसाइटों के UU काउंट को एक साथ जोड़ने/मिलाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, ऐसी वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन को हर वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन के लिए अलग-अलग आवेदन जमा करने होंगे।

IX. केंद्रीय संचार ब्यूरो किसी भी वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन को पैनलबद्ध करने से मना करने या उसका पैनल रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि उसकी सामग्री राष्ट्र-विरोधी/अश्लील/अभद्र/समाज-विरोधी/सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय अखंडता का उल्लंघन करने वाली पाई जाती है या किसी भी रूप में सरकारी संचार के लिए आपत्तिजनक या अनुपयुक्त मानी जाती है या भारत के मौजूदा कानूनों का उल्लंघन करती है। केंद्रीय संचार ब्यूरो के महानिदेशक/प्रधान महानिदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

X. वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन का स्वामित्ववाली और संचालन करने वाली कंपनियों द्वारा ही सीधे जमा किए गए आवेदनों पर विचार किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, कोई भी मध्यस्थ एजेंसी किसी वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन या वेबसाइटों/मोबाइल एप्लिकेशन के समूह की ओर से आवेदन करने की पात्र नहीं है।

XI. केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों/विभागों/स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की ओर से जारी होने वाले केंद्रीय संचार ब्यूरो के विज्ञापन/संदेश अधिकतम दर्शकों तक पहुँचने के लिए प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाने चाहिए और निर्धारित क्लिक थ्रू रेट (CTR) प्राप्त करना चाहिए।

3. वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन के लिए व्यवसायिक बोली (Commercial Bid) और विज्ञापन प्रॉपर्टीज़

सीबीसी वेबसाइट/मोबाइल एप्लीकेशन पर स्टैंडर्ड साइज़ के वेब बैनर और स्टैंडर्ड वीडियो विज्ञापन इन्वेंट्री (दर 10 सेकंड के गुणक में होंगे) प्रकाशित करेगा । सीबीसी वेबसाइट/मोबाइल एप्लीकेशन को स्टैंडर्ड बैनर

विज्ञापनों के लिए लागत प्रति हजार इंप्रेशन (CPTI) आधार पर दर प्रस्तुत करेगा और सभी श्रेणी में कम से कम क्लिक-थ्रू रेट (CTR) 0.30 (अर्थात्, प्रति हज़ार इंप्रेशन पर 3 क्लिक या प्रति मिलियन इंप्रेशन पर 3000 क्लिक) तय किया जाएगा, जो थर्ड-पार्टी सर्वर से जेनरेट होने वाली रिपोर्ट में प्रदर्शित होना चाहिए। प्रति रिलीज़ ऑर्डर 0.3 से कम लेकिन 0.2 तक के CTR पर बिल की गई राशि में 20 प्रतिशत की कटौती होगी। प्रति रिलीज़ ऑर्डर 0.2 से कम लेकिन 0.1 तक के CTR पर बिल की गई राशि में 30 प्रतिशत की कटौती होगी। प्रति रिलीज़ ऑर्डर 0.1 से कम के CTR पर बिल की गई राशि में 50 प्रतिशत की कटौती होगी। दर यहाँ बताए गए प्रोसेस के आधार पर तय किए जाएँगे। सीबीसी के पास फाइनेंशियल बिड के माध्यम से प्राप्त एल-1दर को निविदा समिति की सिफारिश के अनुसार, यदि ऐसी आवश्यकता हो, तो और कम करने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में महानिदेशक/प्रधान महानिदेशक, सीबीसी का निर्णय अंतिम और यह सभी आवेदकों पर बाध्यकारी होगा।

3.1. इंटरनेट वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन पैकेज की विज्ञापन प्रॉपर्टीज़

I. विशेष दर पता करने के लिए, वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन पैकेज की श्रेणी के तहत आवेदन को उनके मासिक यूनिक यूज़र काउंट (डेस्कटॉप और मोबाइल ट्रैफिक संयुक्त रूप से) के आधार पर श्रेणी A+, A, B, और C में बांटा जाएगा। प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम यूनिक यूज़र पात्रता काउंट होगा:.

श्रेणी	प्रति माह औसत यूनिक यूज़र काउंट
ए+	20 मिलियन से अधिक
ए	10-20 मिलियन
बी	5-10 मिलियन
सी	0.25-5 मिलियन

II. वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन पैकेज में उस श्रेणी के अनुसार जिसमें वे आते हैं (एक आवेदक सिर्फ़ एक श्रेणी के लिए आवेदन कर सकता है)विनिर्दिष्ट विज्ञापन प्रॉपर्टी के लिए (जैसा कि अनुलग्नक सी और डी में दिए गए प्रोफ़ार्मा में दिया गया है) अलग-अलग दर बताए जाने चाहिए ।

III. पैनलों की बहुसंख्या से बचने के लिए, वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन पैकेज के तहत हर श्रेणी (नामत: ए+, ए, बी और सी) में इंप्रेशन-आधारित बैनर, अलग-अलग स्लॉट साइज़ की फिक्स्ड प्रॉपर्टी और वीडियो विज्ञापनों के लिए एक संयुक्त पैनल बनाया जाएगा। यह मानक 300 X 250 पिक्सेल साइज़ की प्रॉपर्टी के लिए प्राप्त कोटेशन के आधार पर बनाया जाएगा और, 300 X 250 पिक्सेल बैनर विज्ञापन के लिए एक श्रेणी में बताए गए दर का उपयोग संबंधित श्रेणी में आवेदकों के सबसे कम 75% के चयन के लिए किया जाएगा, जिन्हें एल-1 को आधार मानकर बढ़ते क्रम में चुना जाएगा। इसके

अतिरिक्त, इंटरस्टिशियल विज्ञापन प्रॉपर्टी की एल-1 वेबसाइटं/मोबाइल एप्लिकेशन, 728 x 90, 970 x 250, 300 x 600 पिक्सेल साइज़ की एल-1 वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन; शाम 6 बजे से आधी रात 12 बजे तक, आधी रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक, सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक के स्लॉट की फिक्स्ड बैनर/वीडियो प्रॉपर्टी की एल-1 वेबसाइटें/मोबाइल एप्लिकेशन और वीडियो विज्ञापन प्रॉपर्टी की एल-1 वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन को भी प्रत्येक श्रेणी में ऊपर बताई गई 300 x 250 पिक्सल प्रॉपर्टी के आधार पर बनाए गए पैनल में जोड़ा जाएगा।

IV. वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन की सभी बताई गई प्रॉपर्टीज़ के लिए एक विशेष श्रेणी में एल-1 दर का एक मैट्रिक्स बनाया जाएगा। ऊपर पैरा 3.1 (iii) में बनाए गए वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन पैनल को एल-1 दर का मैट्रिक्स एक पैकेज के रूप में दिया जाएगा। ऐसे आवेदकों को एल-1 दर का मैट्रिक्स पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। अगर कुछ वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन, जिन्हें दर प्रस्तुत किए गए हैं, वे किसी विशेष श्रेणी में सभी प्रॉपर्टीज़ के लिए एल-1 दर मैट्रिक्स स्वीकार नहीं करते हैं, तो उन्हें पैनल में शामिल नहीं किया जाएगा और उस श्रेणी में अन्य योग्य आवेदकों (कमी के बराबर) को "सबसे कम दर देने वाली वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन को पहला ऑफर" के सिद्धांत के आधार पर एल-1 दर मैट्रिक्स दिया जाएगा, जिसमें 300x250 पिक्सल बेसलाइन प्रॉपर्टी के लिए बताए गए दर पर विचार किया जाएगा। CBC ऐसे आवेदकों को भी पैनल में शामिल कर सकता है जिनके पास ऊपर बताए गए विज्ञापन साइज़ में से दो से ज़्यादा नहीं हैं, इस शर्त पर कि वे बाकी प्रॉपर्टीज़ के लिए पूरा एल-1 दर मैट्रिक्स स्वीकार करें। इस संबंध में एक लिखित नोटराइज़्ड सर्टिफिकेट, जिसमें साइज़ की अनुपलब्धता बताई गई हो, तकनीकी बोली के साथ शेयर किया जा सकता है।

V. **पुश नोटिफिकेशन पैनल:** पुश नोटिफिकेशन के लिए मोबाइल एप्लिकेशन को मिलाकर एक अलग श्रेणी-वार पैनल बनाया जाएगा, जो अधिकतम 160 कैरेक्टर के एक पुश नोटिफिकेशन के लिए भारतीय मुद्रा (INR) में बताए गए एल-1 दर पर आधारित होगा। संबंधित श्रेणी का पैनल उस श्रेणी के सबसे कम दर प्रस्तुत करने वाले 75% आवेदकों को मिलाकर बनाया जाएगा, जिन्हें एल-1 को आधार मानकर बढ़ते क्रम में चुना जाएगा। अगर ये आवेदक दिए गए दर प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं, तो उस श्रेणी में अन्य योग्य आवेदकों (बराबर दर के) को "सबसे कम दर देने वाले मोबाइल एप्लिकेशन को पहला ऑफर" के सिद्धांत के आधार पर एल-1 दर दिया जाएगा।

VI. सीबीसी, किसी श्रेणी में बताए गए सबसे कम दर को उस श्रेणी के बेस दर के रूप में अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि यह स्पष्ट है कि ऐसा दर किसी बड़ी श्रेणी में बताए गए बेस दर की तुलना में ज़्यादा है, या वेबसाइटों ने गुटबंदी की है और किसी विशेष श्रेणी के लिए एक ही दर बताई है।

VII. बोली लगाने वाले आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि भारतीय मुद्रा (INR) में बताई गई दरें सभी खर्चों सहित हों, और किसी भी शर्त में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और न ही पैनल में शामिल होने की अवधि/कार्यकाल के दौरान दरों में कोई बढ़ोतरी की अनुमति दी जाएगी। तथापि, लागू वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान सीबीसी द्वारा अतिरिक्त खर्च के रूप में किया जाएगा।

क) स्टैंडर्ड बैनर: वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन दोनों के लिए लागत प्रति हजार इंप्रेशन (CPTI) के आधार पर निम्नलिखित बैनर साइज़ के लिए एकल दर भारतीय मुद्रा (INR) में बताए जाने हैं, जहाँ भी लागू हो:

(क) 300 x 250 पिक्सल

(ख) 728 x 90 पिक्सल (सिर्फ़ वेबसाइट)

(ग) 300 x 600 पिक्सल (सिर्फ़ वेबसाइट)

(घ) 970 x 250 पिक्सल (सिर्फ़ वेबसाइट)

(ङ) इंटरस्टिशियल विज्ञापन प्रॉपर्टी

ख) **मोबाइल डिस्प्ले बैनर विज्ञापन**: 300x250 पिक्सल (मोबाइल एप्लिकेशन, विज्ञापन के साइज़ को न्यूनतम 300x250 पिक्सल के हिसाब से अपने एप्लिकेशन के यूज़र इंटरफ़ेस के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं दिया जाएगा)।

ग) **अन्य विज्ञापन इन्वेंट्री साइज़** के लिए भी आनुपातिक आधार पर दर दिए जा सकते हैं, जिसमें 300 x 250 पिक्सल बैनर प्रॉपर्टी के प्रति वर्ग पिक्सल दर को बेस दर माना जाएगा, यदि महानिदेशक/प्रधान महानिदेशक, सीबीसी को कैंपेन की आवश्यकताओं के आधार पर ऐसा ज़रूरी लगता हो। ऐसे मामलों में, रिलीज़ ऑर्डर में विशेष रूप से विशिष्ट विज्ञापन इन्वेंट्री के लिए दिए गए दर का उल्लेख होता है। ऐसे रिलीज़ ऑर्डर का पालन एक से ज़्यादा बार न करने पर वेबसाइट को पैनल की बाकी अवधि के लिए पैनल से हटाया जा सकता है।

घ) वीडियो विज्ञापन: आवेदकों को वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन के लिए लागत प्रति हजार इंप्रेशन (CPTI) के आधार पर वीडियो विज्ञापन इन्वेंट्री के लिए प्रति दस सेकंड भारतीय मुद्रा (INR) में सामान्य दर बताने होंगे।

ङ) होम पेज पर फिक्स्ड बैनर/वीडियो प्रॉपर्टी: सीबीसी वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन के होम पेज के केवल पहले स्क्रॉल पर, न्यूनतम डिस्प्ले साइज़ 300 X 250 पिक्सल के साथ "फिक्स्ड बैनर/वीडियो विज्ञापन" के रूप में भी विज्ञापन जारी करेगा। फिक्स्ड प्रॉपर्टी के लिए दर, जो एक वेबसाइट पर सभी विज़िटर को निर्दिष्ट समय-सीमा में दिखाई देंगे, उन्हें छह-घंटे के स्लॉट (सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे

तक, दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक, शाम 6 बजे से आधी रात 12 बजे तक, आधी रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक) के आधार पर, साथ ही 24 घंटे के लिए अलग से बताना होगा। इस प्रकार बताए गए सभी दर वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन के लिए सामान्य होंगे।

च) **पुश नोटिफिकेशन्स**: कोटेशन प्रति 160 कैरेक्टर के लिए भारतीय मुद्रा (INR) में अलग से दिया जाना चाहिए; यह सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन पर लागू है।

छ) किसी विशेष श्रेणी में 300 x 250 पिक्सल प्रॉपर्टी के लिए प्रस्तुत किया गया सबसे कम दर ही संबंधित श्रेणी में उस विज्ञापन प्रॉपर्टी के लिए पैनल बनाने के उद्देश्य से मूल दर होगा।

ज) कोई भी अन्य विज्ञापन प्रॉपर्टी जो इंटरनेट वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन पर उपलब्ध हो सकती हैं/बाद में आवश्यक समझी जा सकती हैं, उन्हें महानिदेशक/प्रधान महानिदेशक, सीबीसी की मंज़ूरी के साथ जीएफआर (GFR) के अध्याधीन, पहले से ही पैनलबद्ध संस्थाओं में से ही उचित मूल्य निर्धारण तंत्र के माध्यम से शामिल किया जा सकता है।

4 जांच, अनुपालन और बिलिंग:

I. पैनलबद्ध होने के लिए आवेदन करने वाली सभी वेबसाइटें और मोबाइल एप्लिकेशन अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के नाम, हस्ताक्षर और मुहर के तहत एक नोटरीकृत प्रमाण पत्र जमा करेंगे, जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि उनके द्वारा दी गई जानकारी सही है और वे सीबीसी में पैनलबद्ध होने की सभी शर्तों और साथ ही सीबीसी में पैनलबद्ध होने के संबंध में लिए गए निर्णय का पालन करेंगे। यदि किसी भी संस्था द्वारा दी गई जानकारी किसी भी तरह से गलत/असत्य पाई जाती है, तो उस संस्था को निलंबित किया जा सकता है और/या अगले तीन वर्षों के लिए पैनल में शामिल होने या पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन करने से रोक दिया जा सकता है।

II. जो आवेदक वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन पैकेज के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें कॉमन प्रॉपर्टीज़ में वेबसाइट और मोबाइल दोनों ऐप्स पर विज्ञापन चलाने की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि सीबीसी के रिलीज़ ऑर्डर में विशेष रूप से इसका उल्लेख न किया गया हो। मोबाइल डिवाइस पर एडैप्टिव बैनर विज्ञापनों के लिए कोई प्रीमियम नहीं दिया जाएगा।

III. वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन को रिलीज़ ऑर्डर के अनुसार कैंपेन के आखिरी दिन से 30 दिनों के भीतर ऑनलाइन बिल और मूल बिल भी जमा करने होंगे, साथ ही एक कैंपेन रिपोर्ट भी देनी होगी जिसमें जेनरेट हुए इंप्रेशन की संख्या और सीटीआर (CTR) का उल्लेख होगा।

IV. वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन सीबीसी द्वारा जारी किए गए सभी विज्ञापन केवल सीबीसी द्वारा उपयोग किए गए थर्ड पार्टी-एड-सर्वर (3-PAS) के माध्यम से ही दिखाए जाएंगे। तथापि, यदि सीबीसी पैनलबद्ध वेबसाइटों द्वारा उपयोग किए गए थर्ड-पार्टी सर्वर से रिपोर्ट स्वीकार करने का

निर्णय लेता है, तो सीबीसी इस संबंध में कोई खर्च वहन नहीं करेगा और थर्ड-पार्टी सर्वर को उपयोग करने का पूरा खर्च सिर्फ़ उस संस्था को ही उठाना होगा। तथापि, रिपोर्ट अभी भी ऊपर पैरा 4(iii) में बताए अनुसार सृजित और प्रस्तुत करनी होंगी, साथ ही कैंपेन के आवेदक के डैशबोर्ड का एक्सेस भी देना होगा, क्योंकि कैंपेन के प्रमाण-पत्रों और बिलों की प्रोसेसिंग को सत्यापित करने के लिए इसकी आवश्यकता होगी।

V. भारत सरकार के कानूनों द्वारा निर्धारित मौजूदा नियमों और विनियमों का पालन करना वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन स्वामी की ज़िम्मेदारी होगी।

VI. एक बार पैनलबद्ध वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन को प्रस्तुत की गई और स्वीकार की गई दरों में पैनलबद्धकता की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष अप्रैल में यूनिक यूज़र डेटा की समीक्षा के अतिरिक्त कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा कि 5 (iii) में बताया गया है।

VII. सभी तकनीकी ज़रूरतों की लागत, जैसे कि सीबीसी द्वारा दिए गए डिज़ाइन फॉर्मेट को वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन के फॉर्मेट के अनुसार बनाना, वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन द्वारा वहन किया जाएगा।

5 अवधि, संशोधन और पैनल:

I. पैनल और विज्ञापन की अंतिम रूप से दी गई दरें सीबीसी द्वारा पैनल की अधिसूचना की तिथि से 31.12.2027 तक मान्य होंगी और महानिदेशक/प्रधान महानिदेशक, सीबीसी की अनुमति से एक अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती हैं।

II. वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन पैनल की अधिसूचना के दिन से अगले एक वर्ष के लिए, पैनल में शामिल होने की विंडो बंद रहेगी। नई वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन पर विचार करने के लिए, साथ ही उन संस्थाओं को जिन्होंने पहले आवेदन किया था लेकिन नीति में निर्धारित पात्रता मानदंड या शॉर्टलिस्टिंग पद्धति के कारण पैनल में शामिल नहीं हो पाए थे, उन्हें एक और अवसर देने के लिए विंडो संबंधित श्रेणी में अगले तिमाही यानी जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर से एक वर्ष के बाद ही खोली जाएगी। इसके बाद पैनल के शेष कार्यकाल के लिए हर तिमाही में आवेदन मांगे जा सकते हैं। ऐसे आवेदकों को तकनीकी योग्यता जांच के आधार पर पैनल के शेष कार्यकाल के लिए पैनल में शामिल किया जाएगा और कोई वित्तीय बोली नहीं ली जाएगी, अर्थात तकनीकी रूप से योग्य वेबसाइटों/मोबाइल एप्लिकेशन को पैनल निर्माण के समय पैनल के शेष कार्यकाल के लिए पहले से दी गई एल-1 दर मैट्रिक्स को स्वीकार करना होगा। ऐसी संस्थाएं सीबीसी द्वारा अधिसूचना के दिन से पैनल के शेष कार्यकाल के लिए पैनल में शामिल होंगी।

III. पैनल में शामिल प्रत्येक वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन के यूनीक उपयोगकर्ता डेटा की समीक्षा प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह के पहले सप्ताह में सीबीसी द्वारा की जाएगी और तदनुसार, श्रेणी में ऊपर/नीचे संशोधन

(संबंधित एल-1 दर मैट्रिक्स के साथ) पर विचार किया जाएगा। इस संबंध में महानिदेशक/प्रधान महानिदेशक, सीबीसी का निर्णय अंतिम होगा।

IV. यदि कोई पैनल में शामिल संस्था एक से अधिक बार भारत सरकार के किसी भी संगठन की ओर से सीबीसी द्वारा जारी विज्ञापनों को स्वीकार करने और चलाने से मना करती है, तो उसे पैनल कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सीबीसी द्वारा सरकारी विज्ञापनों से वंचित किया जा सकता है।

V. पैनलबद्धता से काम करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं मिलता। संस्थाओं को विज्ञापनों का आवंटन सीबीसी उस संगठन के साथ विचार करके तय करेगा जिसकी ओर से सीबीसी विज्ञापन जारी कर रहा है, और इसमें अभियान की प्रकृति और ज़रूरतें, लक्षित दर्शकों जैसे कारकों पर विचार किया जाएगा।

VI. संस्थाओं की पैनलबद्धता के लिए ऊपर बताए गए किसी भी प्रावधान के बावजूद और उनकी दरों और अन्य नियम और शर्तों के संबंध में असहमति संबंधी किसी भी मामले में, महानिदेशक/प्रधान महानिदेशक, सीबीसी का निर्णय अंतिम होगा।

6. ऑनलाइन आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेज़

I. पैरा 2 (i) समर्थित दस्तावेज़

II. वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन को पिछले छह महीनों अर्थात जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक के अपने औसत मासिक यूनिक यूज़र (UU) की संख्या बतानी होगी, जो वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन के ऑडिटर/संस्था के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत प्रमाणित हो ।

III. पैरा 2 (vi) के अनुसार निगमन प्रमाणपत्र

IV. पैरा 4 (i) के अनुसार प्रमाणपत्र के रूप में शपथ-पत्र और पैरा 4 (iii) और 4 (iv) के अनुसार थर्ड-पार्टी सर्वर के माध्यम से अभियान चलाने और वांछित रिपोर्ट प्रदान करने की स्वीकृति।

V. 10,000/- रुपये प्रति वेबसाइट/मोबाइल एप्लिकेशन की आवेदन शुल्क रसीद (अप्रतिदेय)

VI. पैरा 3.1 (iv) के समर्थन में विज्ञापन के आकारों की अनुपलब्धता पर शपथ-पत्र (यदि लागू हो)

<u>अनुलग्नक-ख</u>

तकनीकी बोली

1. वेबसाइट का नाम (URL):
2. मोबाइल एप्लीकेशन का नाम:
3. जिस श्रेणी के लिए एप्लीकेशन किया गया है (A+/A/B/C):
4. पंजीकृत कार्यालय का पता:
5. कंपनी के निगमन की तिथि:
6. वेबसाइट लॉन्च होने की तिथि:
7. मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च होने की तिथि:
8. जिस तिथि से वेबसाइट लगातार चल रही है:
9. जिस तिथि से मोबाइल एप्लीकेशन लगातार चल रहा है:
10. पिछले 6 महीनों में प्रत्येक महीने यूनिक यूजर्स की औसत संख्या (जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक):
11. क्या वेबसाइट भारतीय है (हाँ/नहीं):
12. यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर नहीं है, तो क्या वेबसाइट की कोई पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी भारत में रजिस्टर्ड और संचालित है, जो उनके भारतीय विज्ञापन व्यवसाय को देखती हो। यदि हाँ, तो उसका विवरण दें।

आवेदकों से अनुरोध है कि वे अपनी बोलियों के साथ आवश्यक दस्तावेजों को जमा करने के संबंध में निविदा दस्तावेज के पैरा 6 को ध्यान से पढ़ें। आवेदक वेबसाइट (URL) का उपयोग पैनलबद्धता के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कर सकते हैं: तथापि, भौतिक बोलियाँ(Physical bid) भी सीबीसी को जमा की जानी चाहिए। सीबीसी वित्तीय बोलियाँ ऑनलाइन जमा करने की दृढ़तापूर्वक से सलाह देता है।

*लेटर हेड पर प्रिंट किया जाना है

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम)

हस्ताक्षर, मुहर और सील

ANNEXURE II

Internet Website & Mobile Package
Category wise L-1 Rates (in Rs.)

	[CPTI]					[Consolidated rate for 6 hours]				[Consolidated rate for 24 hours]	[CPTI for a 10 second spot]	[One Push Notification]
CATEGORY	300 x 250 pixels (Rs.)	728 x 90 pixels (Rs.)	300 x 600 pixels (Rs.)	970 x 250 pixels (Rs.)	Interstitial Advertisement Property (Rs.)	Fixed Banner of minimum 300 x 250 pixels (6PM to 12 AM) (Rs.)	Fixed Banner of minimum 300 x 250 pixels (12AM to 6 AM) (Rs.)	Fixed Banner of minimum 300 x 250 pixels (6AM to 12 PM) (Rs.)	Fixed Banner of minimum 300 x 250 pixels (12PM to 6PM) (Rs.)	Fixed Banner of minimum 300 x 250 pixels (Rs.)	Video Advertisement of minimum 300 x 250 pixels (per 10 seconds) (Rs.)	Per Push Notification of maximu 160 characters [One Push Notification] (Rs.)
A+	25	30	30	32	35	17500	22500	25000	50000	75000	25	0.2
A	22	25	22	25	32	17000	17500	24000	47500	72000	22	0.1
B	15	20	15	20	30	15000	17500	20000	40000	60000	15	0.1
C	5.25	5.65	5.65	5.65	5.65	5000	7000	7000	10000	12000	2	0.02

***